

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज०, जयपुर

डा० राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज०

क्रमांक:- एफ १(१)/असमावि/अल्प.आवा.विद्या/2021-22/ ११०४५

दिनांक:- २३।१२।२१

कार्यालय आदेश


बजट घोषणा 2020-21 एवं 2021-22 की पालना में स्वीकृत किये गए 08 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों (मसूदा अजमेर, रामगढ़ अलवर, बुरहान का तला चौहटन बाड़मेर, नन्देरा कांमा, कन्वननेर पहाड़ी, भरतपुर, भणियाना जैसलमेर, सीकर एवं उदयपुर) विद्यालय के संचालन हेतु बजट मद 2225-04-277-(01)-13-05 के अन्तर्गत निम्नानुसार पद सृजित एवं स्वीकृत किये जाते हैं:-

राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय

क्र. स.	पद नाम	पे मेट्रिक्स/लेवल	एक विद्यालय के लिए पदों की संख्या	08 विद्यालयों के लिए पदों की संख्या	लेने की प्रक्रिया
1	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	L-11	1	8	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
2	अध्यापक अंग्रेजी	L-10	1	8	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
3	अध्यापक हिन्दी	L-10	1	8	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
4	अध्यापक विज्ञान	L-10	1	8	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
5	अध्यापक गणित	L-10	1	8	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
6	अध्यापक सामाजिक अध्ययन	L-10	1	8	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
7	अध्यापक उर्दू/संस्कृत	L-10	1	8	शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
8	छात्रावास अधीक्षक	L-5	1	8	प्रतिनियुक्ति
9	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	L-8, L-5	1	8	विभागीय/प्रतिनियुक्ति पर

उक्तानुसार पद (क्रम संख्या 8 के अतिरिक्त) शिक्षा विभाग की केडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित किये जायेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा इन पदों पर शिक्षक/कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

उक्त कार्यालय आदेश वित्त विभाग की आई. डी. सं. 162100834 दिनांक 29.09.2021 के द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया जाता है।


 (जितेंद्र कुरौशी)
 निदेशक एवं संयुक्त सचिव